भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS
मानकः पथप्रदर्शकः
पटना शाखा कार्यालय, पाटलिपुत्र औद्योगिक प्रांगण, पटना
Patna Branch Office, Patliputra Industrial Estate, Patna
e-mail : pbo@bis.org.in, pbo.bis@nic.in & hpbo.bis
दूरभाष / Phones 2262808, 2271625 फैक्स / Fax +91-612-2275342 तार / Grams : Ma

संदर्भ–पी/हॉलमार्क/2019–20/01

09.07.2019

प्रेस विज्ञप्ति

भारतीय मानक ब्यूरो, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता को यह सूचना मिली थी कि पटना के कुछ गैर लाईसेंसी स्वर्णकारों द्वारा नकली हॉलमार्किंग के स्वर्णाभूषणों की अनधिकृत बिक्री की जा रही है। सूचना के आधार पर पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय के उपमहानिदेशक, श्री के0सी0एस0 बिष्ट के निदेशानुसार पटना शाखा कार्यालय के प्रमुख श्री एम0के0 प्रामाणिक द्वारा तीन छापामार दल का गठन किया गया एवं स्थानीय पुलिस की सहायता से दिनांक 09.07.2019 को पटना के बाकरगंज स्थित मे0 ओम गोल्ड हाउस एवं मे0 मोहित ज्वेलर्स के यहां छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान उपरोक्त मे0 ओम गोल्ड हाउस एवं मे0 मोहित ज्वेलर्स के यहां हॉलमार्क लगे स्वर्णाभूषण पाए गए। छापेमारी के दौरान साक्ष्य के तौर पर कुछ स्वर्णाभूषण सील कर छापामार दल के सदस्यों द्वारा लिया गया एवं अन्य हॉलमार्क लगे आभूषणों को सील कर दूकानदारों की अभिरक्षा में रखा गया है।

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के अनुसार वैद्य निबंधन के बगैर हॉलमार्क आभूषणों की बिक्री प्रदर्शन एवं भंडारण गैर कानूनी है जिसके लिए माननीय न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाने पर इसमें एक वर्ष की सजा या कम से कम 1,00,000/– का जुर्माना, जो आभूषणों के कीमत के पांच गुणा तक हो सकता है, या दोनों (सजा एवं जुर्माना) का प्रावधान है।

एम.के.पी

(एम0के0 प्रामाणिक)
वैज्ञा0–डी एवं प्रमुख

Scanned by CamScanner